माननीय न्यायमूर्ति *जसबीर सिंह और* ***न्यायमूर्ति*** *ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह* ***के समक्ष***

राजिंदर कुमार और अन्य, - ***याचिकाकर्ता***

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य -*प्रतिवादी*

सीडब्ल्यूपीएनओ। 2004 का 941

15 दिसंबर, 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-भूमि अर्जन अधिनियम, 1894-धारा 4 और 6-याचिकाकर्ताओं की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिगृहीत की जानी है-भेदभाव के आधार पर उसे चुनौती, निर्मित क्षेत्रों आदि को जारी करने के लिए सरकार की नीति- पुलिस लाइनों और उसके स्टाफ क्वार्टरों के लिए भूमि का अधिग्रहण और किसी हुडा स्कीम ईएमई के तहत नहीं***- दिनांक 26 जून की नीति, (क) क्या 1894 के अधिनियम की धारा 6(2) का उल्लंघन करता है - आयोजित, सं- धारा 6(2) में प्रावधान है कि पीयू*** ब्लिकेशन की अंतिम तारीख ***अर्थात सरकारी राजपत्र या नए कागजात में या इलाके में और घोषणा की ऐसी सार्वजनिक सूचना देने पर गणना अवधि के लिए विचार किया जाएगा जिसके भीतर अवार्ड पारित किया जा सकता है - अवार्ड की घोषणा सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सीमा के भीतर आयोजित की जाती है।***

यह तर्क दिया गया कि अधिसूचना की तारीख यानी 5 नवंबर, 2003 को सीमा की गणना के लिए सीमा की अवधि के प्रारंभ की तारीख के रूप में लिया जाना चाहिए, लेकिन भले ही आधिकारिक राजपत्र में संशोधन की तारीख को ध्यान में रखा जाए, जो 18 नवंबर, 2003 था और अवार्ड 17 नवंबर को है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में अभी भी सीमा के लिए गणना की तारीख का प्रारंभ30 नवंबर, 2003 को शुरू होगा जब इलाके में घोषणा की घोषणा की गई थी। अन्य तर्क कि सरकारी राजपत्र में प्रकाशन समाचार पत्र में प्रकाशन से पहले होना चाहिए, इस तथ्य के आलोक में भी कायम नहीं रह सकता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि अधिनियम की धारा 6 (2)

प्रकाशन के तरीके के लिए प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 4 और 6 के अवलोकन से पता चलता है कि "अधिसूचना" शब्द का उपयोग विशेष रूप से अधिनियम की धारा 4 (1) में किया गया है।अधिनियम की धारा 6 में ऐसा कोई शब्द नहीं पाया जाता है जहां अधिनियम घोषणा से संबंधित है जो अधिसूचना को अनिवार्य नहीं करता है बल्कि घोषणा के प्रकाशन को अनिवार्य करता है। इसलिए यह रिट याचिका भी खारिज किए जाने योग्य है। अन्यथा भी, यह रिट याचिका भीइस आधार पर खारिज किए जाने योग्य है कि पंचाट पारित होने के बाद इसे दायर किया गया है।

(26 में कार्य करता है)

2004 के सीडब्ल्यूपी नंबर 2513, 5928,9757 में याचिकाकर्ताओं के वकील रंजीता गिल के साथ

सीनियर एडवोकेट।

अमित जैन, अधिवक्ता, 2004 के सीडब्ल्यूपी संख्या 941 में याचिकाकर्ताओं के लिए।

राकेश नागपाल, अधिवक्ता, 2004 के सीडब्ल्यूपी संख्या 12968 में याचिकाकर्ताओं के लिए।

प्रीतम सैनी, अधिवक्ता, 2005 के सीडब्ल्यूपी संख्या 20133 में याचिकाकर्ताओं के लिए।

जे.के. गोयल, अधिवक्ता, 2006 के सीडब्ल्यूपी संख्या 976 और 12548 में याचिकाकर्ताओं के लिए।

कमल सहगल, अपर ए.जी., हरियाणा, उत्तरदाताओं के लिए

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे।

(1) इस आदेश के द्वारा, हम 2004 की सीडब्ल्यूपी संख्या 941, 2513, 5928, 9757, 12968, 2005 के 20133, 2006 के 976 और 12548 का निपटान करने का प्रस्ताव करते हैं क्योंकि वे एक ही अधिग्रहण कार्यवाही से उत्पन्न होते हैं, जिसके *माध्यम से* याचिकाकर्ताओं की भूमि को प्रतिवादी-राज्य द्वारा अधिग्रहित करने की मांग की गई है।

(2) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 4 के अंतर्गत सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक व्यय पर 55 एकड़, 7 कनाल और 11 मरला भूमि का अधिग्रहण करने के लिए दिनांक 2 दिसम्बर, 2002 को अधिसूचना जारी की गई थी, अर्थात् पट्टी कायस्थ सेठ गांव में पुलिस लाइनों और इसके स्टाफ क्वारेटरों के निर्माण के लिए। तहसील और जिला कैथल। इन रिट याचिकाओं में, अधिकांश याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 5-ए के तहत और विचार करने पर आपत्तियों को प्राथमिकता दी

अधिनियम की धारा 6 के तहत इसी घोषणा के तहत 5 नवम्बर, 2003 को घोषणा जारी की गई थी जिसे 18 नवम्बर, 2003 को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था और उन्हें 3 नवम्बर, 2005 को भूमि अधिग्रहण समाहर्ता के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया गया था जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्हें 4 नवम्बर, 2005 को प्राप्त हुआ था। इसके बाद, अधिनियम की धारा 9 के तहत एक और नोटिस जारी किया गया था, जिसे 9 नवंबर, 2005 को याचिकाकर्ताओं को दिया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को 17 नवंबर, 2005 को I और अधिग्रहण कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, जिस तारीख को, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर-प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा वार डी की घोषणा की गई थी। इस अधिग्रहण को याचिकाकर्ताओं द्वारा उपर्युक्त रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है, जिसमें उनके द्वारा अपनी याचिकाओं में विभिन्न आधार लिए गए हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।

(3) 2004 के सीडब्ल्यूपी नंबर 941 में याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं ने विचाराधीन भूमि के कब्जे वाले मालिकों को बताया है, उन्होंने भूमि के हिस्से पर 20,000 पक्षियों के लिए एक पोल्ट्री फार्म स्थापित किया था, इस पोल्ट्री फार्म का निर्माण वैज्ञानिक आधार पर किया गया है जिसमें पोल्ट्री शेड शामिल हैं, केज सिस्टम

शेड, पानी की टंकी, अंडे की दुकान, फीड स्टोर, ऑफिस ब्लॉक और लेबर क्वार्टर। पोल्ट्री फार्म पर सभी निर्माण 'ए' श्रेणी की गुणवत्ता के हैं। याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियां उठाई, जिसमें उन्होंने उपरोक्त तथ्यों की वकालत की थी। इसके अलावा, यह दलील दी गई थी कि अधिग्रहण बेतरतीब तरीके से किया गया है और विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण करते समय प्रतिवादी-सरकार द्वारा पिक एंड चूज की नीति अपनाई गई है। प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंधित भूमि, हालांकि समान रूप से स्थित है, का अधिग्रहण नहीं किया गया है जबकि याचिकाकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने साइट प्लान का हवाला देते हुए कहा है कि कुछ कारखानों, औद्योगिक शेड और चावल मिलों को अधिग्रहण से बाहर रखा गया था। आगे यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ताओं को एक बड़ा वित्तीय नुकसान होगा और अगर उनकी जमीन का अधिग्रहण करने की अनुमति दी जाती है तो उनकी आजीविका खो जाएगी। इस आधार पर अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

(4) प्रतिवादियों के वकील ने प्रस्तुत किया है कि भूमि का अधिग्रहण पुलिस लाइन और उसके स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के लिए किया जा रहा है। पोल्ट्री फार्म को योजना में समायोजित नहीं किया जा सकता है, याचिकाकर्ताओं को समानरूप से मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं की भूमि नियोजित के भीतर आती है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और जहां तक कुछ कारखानों और औद्योगिक शेड के अधिग्रहण न होने के संबंध में याचिकाकर्ताओं के वकील के तर्क का संबंधहै, वकील प्रस्तुत करता है कि उक्त संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं किया गया था क्योंकि वे इकाइयां चला रहे थे और भूमि के एक तरफ स्थित थे और योजना को परेशान नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त, इसके अधिग्रहण से सरकार पर गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़ेगाऔर जब एक ब्लॉक में अपेक्षित भूमि उपलब्ध होगी, तो उसका अधिग्रहण कर लिया जाएगा।

(5) हमने पक्षों के वकील को सुना है और उत्तरदाताओं के वकील द्वारा उठाए गए विवाद के साथ सहमति व्यक्त की है। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है किपुलिस लाइन और स्टाफ़ल क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, इस उद्देश्य के लिए एक मुर्गी पालन एक उपद्रव होगा। इससे न केवल बहुत सारी गंदगी पैदा होती बल्कि कीड़े-मकोड़े और इली भी पैदा होते और दुर्गंध भी पैदा होती। इसके अलावा, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के बीच में भूमि-भूखंड आता है। यह योजना में फिट नहीं बैठता है और उस उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए इसे अजत किया जा रहा है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और रिट याचिका खारिजकर दी जाती है।

(6) 2004 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2513 में, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि ग्रामीण उद्योग योजना के तहत याचिकाकर्ता के बहनोई द्वारा स्थापित लघु उद्योग को उत्तरदाताओं द्वारा अधिग्रहण से बाहर नहीं छोड़ा गया है। याचिकाकर्ता 1 कनाल 13 मरला की भूमि का मालिक है जो उसके बहनोई के कारखाने की भूमि से सटा हुआ है जहां स्टाफ क्वार्टर बनाए गए हैं और एक आवासीय भवन है जहां कारखाने के श्रमिकों के पांच परिवार रहते हैं। यह एक निर्मित क्षेत्र होने के नाते, इसके बाद 26 जून, 1991 (अनुबंध पी-17) के पत्र के माध्यम से जारी किए गए मुडा को संदर्भित मरियाना शहरी विकास प्राधिकरण की नीति के अनुसार जारी किए जाने योग्य है। इस आधार पर वकील भेदभाव के आधार पर और नीति के अनुसार अधिग्रहण को रद्द करने की प्रार्थना करता है।

(7) याचिकाकर्ता के वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों के जवाब में, प्रतिवादियों के वकील द्वारा रिट याचिका

से जुड़ी साइट प्लान का हवाला देते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस लाइनों तक आसान पहुंच के लिए याचिकाकर्ता की भूमि की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता द्वारा की गई आपत्तियों पर प्रतिवादियों द्वारा विधिवत विचार किया गया था लेकिन भूमि अधिग्रहण कलेक्टर की सिफारिश के बावजूद इसे स्वीकार नहीं किया गया था। [एक्स]

(8) जहां तक हुडा की दिनांक 26 जून, 1991 की नीति (अनुबंध पी-17) निर्भरता का संबंध है, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील द्वारा निर्मित क्षेत्र को छोड़ने की प्रार्थना की गई है, वह प्रस्तुत करता है कि उक्त नीति हुडा की विभिन्न योजनाओं पर लागू होती है जहां उक्तउद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। वर्तमान अधिग्रहण न तो हुडा के लिए है और न ही आवास, वाणिज्यिक या औद्योगिक उद्देश्य के लिए बल्कि पुलिस लाइनों और उसके स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए है। अधिनियम की धारा 5-ए के तहत भूमि अधिग्रहण और कलेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार, यह कहा गया था कि केवल दो कमरे और दो रसोईघर थे। इस आधार पर, वह रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करता है।

(9) हम उत्तरदाताओं के वकील के तर्क से सहमत हैं। अधिग्रहण आवश्यकता के अनुसार किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। आपत्तियों पर विधिवत विचार किया गया और निर्मित क्षेत्र को छोड़ने के लिए याचिकाकर्ता के वकील द्वारा बनाई गई नीति, निर्भरता वर्तमान अधिग्रहण पर लागू नहीं होगी क्योंकि यह पुलिस लाइन और उसके स्टाफ क्वार्टरों के लिए है और किसी भी हुडा योजना के तहत नहीं है। इस प्रकार, नीति मौजूदा मामले पर लागू नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, पुलिस लाइनों तक आसानी से पहुंचने के लिए स्थल योजना के अनुसार यह अपेक्षित है । इस प्रकार यह रिट याचिका खारिज करने योग्य है।

(10) 2004 की सीडब्ल्यूपी संख्या 5928 में, याचिकाकर्ता के वकील ने आग्रह किया है कि याचिकाकर्ता की संपत्ति 420 वर्ग गज की है और अब नगरपालिका क्षेत्र के भीतर आती है। उनके आवासीय घर में बिजली आपूर्ति कनेक्शन है और उनके द्वारा अपने निजी आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है। वह प्रार्थना करता है कि भूमि को इस आधार पर जारी किया जाना चाहिए कि यह एक 'ए' श्रेणी का निर्माण है और अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले इसका निर्माण किया गया है।

(11) दूसरी ओर, प्रतिवादियों के वकील ने रिट याचिका से जुड़ी साइट प्लान का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता की जमीन कुरुक्षेत्र रोड पर पुलिस लाइन के खुलने पर पड़ती है। यदि याचिकाकर्ता की भूमि अधिग्रहण से मुक्त हो जाती है तो यह कुरुक्षेत्र सड़क तक पहुंच में बाधा होगी। यह उत्तरदाताओं के वकील का तर्क है कि निर्माण एक कठिन है और यह पुलिस लाइनों की योजना को बाधित करता है जिसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है। निर्माण नगरपालिका अधिनियम और शहरी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करता है जो अवैध होने के कारण वहां रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि

याचिकाकर्ता की भूमि इस आधार पर जारी की जाती है कि उसपर निर्माण है, यह एक अवैध निर्माण को नियमित करने के समान होगा जो कानून में स्वीकार्य नहीं होगा।

(1) पक्षकारों के वकील की दलील पर विचार करने के बाद हम प्रतिवादियों के वकील द्वारा दिए गए तर्कों से पूरी तरह सहमत नहीं हैं और इसलिए याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए दलीलों में कोई दम नहीं पाते हैं।

(13) 2004 की सीडब्ल्यूपी संख्या 12968 में, याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी है कि याचिकाकर्ताओं की भूमि हालांकि एक खाली भूमि है, जिसकाउपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है जिसके लिए इसका अधिग्रहण किया जा रहा है।

(14) दूसरी ओर, प्रतिवादियों के वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं की जमीन खाली है और उस जमीन से सटी हुई है जिसे अधिग्रहित करने की मांग की जा रही है। यह कुरुक्षेत्र रोड के प्रवेश द्वार पर भी पड़ता है और 2004 के सीडब्ल्यूपी संख्या 5928 में याचिकाकर्ता विजय गुप्ता की भूमि के ठीक पीछे है। साइट प्लान के अनुसार, चूंकि यह एक खाली

जमीन है और कुरुक्षेत्र सड़क तक पहुंच में एक बाधा होगी, इसलिए भूमि जारी नहीं की जा सकती है।

• (15) हम उत्तरदाताओं के वकीलद्वारा की गई प्रस्तुतियों से पूरी तरह सहमत हैं और इसलिए, याचिकाकर्ताओं के वकील के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, खासकर जब याचिकाकर्ताओं की भूमि का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है और एक खाली भूमि है । इसलिए, यह रिट याचिका खारिज करने योग्य है।

(16) 2004 की सीडब्ल्यूपी संख्या 9757 में याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता मंदिर कैस्थानवाला का मोहत्मीम और मुंतजिन है और उक्त मंदिर की 77 कनास 8 मरला की भूमि पर कब्जा है। याचिकाकर्ता की जमीन एक धार्मिक संस्थान से जुड़ी हुई है, जहां शीतलपुरी पब्लिक स्कूल के नाम और शैली के तहत एक पब्लिक स्कूल का निर्माण प्रस्तावित है। याचिकाकर्ता ने 10 दिसंबर, 2002 को आपत्तियां प्रस्तुत कीं, लेकिन उन्हें समय सीमा के रूप में खारिज कर दिया गया जिसमें यह दलील दी गई थी कि क्षेत्र का निर्माण किया गया है और कई घरों, स्कूल भवनों और शोरूम पहले से ही बनाए गए हैं। भेदभाव की दलील इसलिए भी उठाई गई क्योंकि क्षेत्र में तीन पब्लिक स्कूल स्थित थे यानी सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल, लिटिल फ्लावर स्कूल और टैगोर पब्लिक स्कूल जोराष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर स्थित क्षेत्र में चल रहे थे, जहां याचिकाकर्ता की भूमि स्थित थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आपत्तियों की अस्वीकृति

भूमि अधिग्रहण समाहर्ता द्वारा समय-सीमा निर्धारित किया जाना पूर्णत अनुचित है। सील आयन 5-एओएफटीएचसी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। वित्तीय आयुक्त द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या 28 पर भी भरोसा किया गया है। इसके खंड 9(1) के अनुसार, किसी भी परिस्थिति में किसी भी धामक स्थल, धर्मस्थल, मकबरा, कब्रिस्तान या किसी ऐसी संस्था या किसी वक्फ से जुड़ी कोई अचल संपत्ति समुचित रूप से अजत नहीं की जाएगी और जिसकी सीमाएं स्थल से सटी हुई हैं, उसे अनिवार्य रूप से अजत नहीं किया जाएगा। मैं यानी। इसलिए, तर्क देता है कि चूंकि भूमि मंदिर की है, इसलिए इसका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता था। भेदभाव की दलील इस आधार पर भी उठाई गई है कि प्रतिवादी-राज्य ने दरगाह शेख मजार को इस आधार पर रिहा कर दिया है कि आम जनता के सदस्य उस स्थान की पूजा करने आते हैं, अर्थात् इस आधार पर, अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचना और 17 नवंबर 2005 को पारित किए गए अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए प्रार्थना करता है।

(17) प्रतिवादी के वकील ने कहा है कियाचिकाकर्ता की भूमि के अधिग्रहण के संबंध में कोई भेदभाव नहीं है। मैं तर्क देता हूं कि याचिकाकर्ताओं की जमीन एक खाली जमीन थी। जमाबंदी के अनुसार। जमीन का मालिकाना हक टीसीएमपीएलसी कैसथान वाला के नाम पर है। हालांकि, जब अधिग्रहणऔर कार्यवाही शुरू की गई थी, तब कोई मंदिर अस्तित्व में नहीं था, जमाबंदी रिकॉर्ड में जीवित था, इस आशय की कोई प्रविष्टि नहीं मिली है। स्थायी आदेश संख्या 28 और खंड 9.1 के संबंध में। यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने के समय कोई मंदिर, दरगाह या किसी अन्य धार्मिक भवन का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव नहीं है। उक्त स्थायी आदेश और ऊपर उल्लिखित खंड, याचिकाकर्ता के मामले पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की जमीन खाली थी। 11c याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रतिकृति को संदर्भित करता है जिसमें रिट याचिका के साथ तस्वीरें संलग्न की गई हैं। एक अनुनय! उसी से पता चलेगा कि ये सभी हाल के निर्माण हैं। अधिनियम की धारा 5-ए के तहत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के अनुसार, यह दर्शाता है कि यह याचिकाकर्ता का रुख नहीं है कि मंदिर इस भूमि में स्थित है और न ही इस तथ्य का उल्लेख रिट याचिका की दलीलों में मिलता है। अधिनियम के अनुच्छेद 5-ए के तहत जिन आपत्तियों को प्राथमिकता दी गई थी, उनमें जो दलील दी गई है, वह यह है कि याचिकाकर्ता एक पब्लिक स्कूल का निर्माण करना चाहता है जो यह दर्शाता है कि अधिग्रहण की तारीख पर, कोई स्कूल अस्तित्व में नहीं था।

(18) याचिकाकर्ता के वकील तर्क का खंडन करने में असमर्थ हैं जैसा कि उत्तरदाताओं के वकील द्वारा उठाया गयाहै।

(19) उपरोक्त के मद्देनजर, हम इस विचार के प्रति हैं कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और तदनुसार, रिट याचिका खारिज करने योग्य है।

(20) 2005 के सीडब्ल्यूआर नंबर 20133 के संबंध में, वही दायर किया गया है जो अवार्ड के पारित होने में बदल गया है, अकेले इस आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं होगा। इसके अलावा, यह तथ्य कि याचिकाकर्ताओं की भूमि खाली है, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भी जाएगा। तथापि, याचिकाकर्ताओं द्वारारिट याचिका में एक अलग आधार प्रस्तुत किया गया है जिसमें दिनांक 17 नवम्बर, 2005 के अधिनिर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अधिनियम की धारा 11(1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अनिवार्य रूप से भूमि अधिग्रहण समाहर्ता द्वारा सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा सुरेश चंद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर भरोसा किया गया है **और न कि उसे (आई)**। याचिकाकर्ताओं के वकील का यह तर्क

भी है कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निर्णय पारित किया गया है, इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

(21) याचिकाकर्ताओं के लिए सीओएनएस द्वारा उठाए गए तर्क के जवाब में,प्रतिवादी के वकील ने वित्तीय आयुक्त और हरियाणा सरकार, गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी 31 अक्टूबर, 2005 को एक पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें सरकार नेपुलिस लाइनों के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण के भुगतान के लिए प्रस्तावित अवार्ड के अनुसार राशि जारी करने की मंजूरी दी है। कैथल जबकि पुरस्कार 17 नवंबर, 2005 को दिनांकित है,

(22) उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं के वकील के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(23) याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया है कि अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा 5 नवंबर, 2003 को जारी की गई थी। (ख) हरियाणा सरकार के राजपत्र में 18 नवम्बर, 2003 को प्रकाशित की गई घोषणा के अनुसार 11 नवम्बर, 2003 को अंगे्रजी और हिन्दी समाचार पत्रों में यह घोषणा प्रकाशित हुई थी। उनका तर्क है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 (2) के अनुसार, प्रत्येक घोषणा आधिकारिक राजपत्र में और इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी

जिसमें भूमि स्थित है, जिसमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए और कलेक्टरउक्त इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर किए जाने वाले इस तरह के घोषणा राशन के उदाहरण पर सार्वजनिक सूचना देगा। उनका तर्क है कि अधिनियम की योजना के अनुसार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन समाचार पत्रों में प्रकाशन से पहले होना चाहिए और उसके बाद इलाके में कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक नोटिस भी दिया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि चूंकि समाचार पत्र में प्रकाशन 11 नवंबर, 2003 को आया है, यानी हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशन से पहले, यानी 18 नवंबर, 2003, अधिनियम की धारा 6 (2) का उल्लंघन किया गया है, जो अधिनियम की धारा 4 (1) के *समान* है, जिसे अनिवार्य माना गया है, अधिग्रहण की कार्यवाही रद्द करने के योग्य है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस दलील के समर्थन में **कश्मीरी लाल** और अन्य **बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2)** के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया है।याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा 5 नवंबर, 2003 की है और इसलिए, अधिनिर्णय 4 नवंबर, 2005 को या उससे पहले पारित किया जाना चाहिए था और चूंकि अधिनिर्णय 17 नवंबर, 2005 को पारित किया गया है, इसलिए इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है।

(24) इस पर, उत्तरदाताओं के वकील ने यह प्रस्तुत करते हुए जवाब दिया है कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा 5 नवंबर, 2003 को जारी की गई थी, जिसे 18 नवंबर, 2003 को हरियाणा सरकार के राजपत्र में विधिवत प्रकाशित किया गया था और उक्त अधिसूचना की घोषणा इलाके में की गई थी और 30 नवंबर को रैपट नंबर 149, २००३ में पटवारी हा लक़्क़ा के रोजनामचा वकायती में प्रवेश किया गया था। यदि सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को घोषणा की तारीख माना भी जाता है तो 17 नवम्बर, 2005 को अधिनिर्णय की घोषणा निर्धारित सीमा के भीतर ही कर दी गई थी। वह अधिनियम की धारा 6 (2) को संदर्भित करता है जिसमें यह कहा गया है कि इस तरह के प्रकाशन की पहली तारीख यानी आधिकारिक राजपत्र या समाचार पत्रों या इलाके में और इस तरह के सार्वजनिक नोटिस को देने के बाद घोषणा के प्रकाशन की तारीख के रूप में संदर्भित किया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि प्रचार के इन तीन तरीकों में से किसी की अंतिम तारीख को उस अवधि की गणना के लिए विचार किया जाएगा जिसके भीतर पुरस्कार दिया जा सकता है पारित।

(25) उपरोक्त प्रस्तुतियाँ जैसा कि पार्टियों के वकील द्वारा विश्लेषण किया जाता है, जब विश्लेषण किया जाता है, तो संदेह का कोई तरीका नहीं छोड़ता है कि पुरस्कार अधिनियम की धारा 11 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर पारित किया गया था। माननीय सर्वोच्च

(2) 1983 सितम्बर। 549

मोहन सिंह और अन्य बनाम **भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य (3), और कृषि उत्पादन मंडी समिति** *बनाम* **मकरंद सिंह (4)** के मामले में न्यायालय ने माना है कि अधिनियम की धारा 6 (2) अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत घोषणा के प्रकाशन से संबंधित है। अधिनियम की धारा 6 (2) के तहत घोषणा के प्रकाशन के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ii) के पहले परंतुक के तहत निर्धारित अवधि केवल घोषणा करने के लिए है न कि प्रकाशन के लिए (एसएच **रंगप्पा** *बनाम* कर्नाटक **राज्य और अन्य (5)**। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस हद तक निर्णय दिया है कि अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत जारी घोषणा को प्रकाशित करने में चूक हुई है और इलाके में उसकी विषय-वस्तु अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत घोषणा को अमान्य नहीं करेगी। अधिनियम की धारा 6 (2) को निर्देशिका माना गया है और अनिवार्य नहीं है, हालांकि भाषा अधिनियम की धारा 4 (1) के साथ *समरूप* है **(हरियाणा राज्य और अन्य** *बनाम* **रघुबीर दयाल, (6)**। माननीय उच्चतम न्यायालय ने**दहयाभाई रणछोड़दास धोबी** और अन्य *बनाम*

गुजरात राज्य और अन्य (7) के मामले में अपने नवीनतम निर्णय में यह निर्णय दिया है कि अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अधिनिर्णय अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत घोषणा से दो वर्ष के भीतर किया जाना है और अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत अधिनिर्णय दिया जाना हैसीमा की गणना के लिए संशोधन तिथि, घोषणा के अंतिम प्रकाशन की तारीख होगी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने **कृषि उत्पादन मंडी समिति** *बनाम* **मकरानडी सिंह, (सुप्रा) के मामले में अपने पहले के निर्णयों पर भरोसा किया है; यूजीनियो मिसक्विटा** बनाम **गोवा राज्य, (8); एस. एच. रंगप्पा** *बनाम* **कर्नाटक राज्य; (सुप्रा)** और **कुंवर पाल सिंह** *बनाम* **उत्तर प्रदेश राज्य (9)।**

(26) उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क है कि अधिसूचना की तारीख यानी 5 नवंबर, 2003 को सीमा की गणना के लिए सीमा की अवधि के प्रारंभ की तारीख के रूप में लिया जाना चाहिए, लेकिन भले ही आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को ध्यान में रखा जाए, जो18 नवंबर, 2003 के रूप में डब्ल्यू और पुरस्कार 17 नवंबर, 2005 को अभी भी (3) (1997) 9 एससीसी 132 के प्रकाश में है

(4) (1995)2 एससीसी 497

(5) (2002) 1 एससीसी 538

(6) (1995) 1 एससीसी 133

(7) . (2010) 7एससीसी 705

(8) (1997) 8 एस.सी.सी.47

(9) (2007) 5 एससीसी 85

उपरोक्त निर्णयों के अनुसार, परिसीमा के लिए गणना की तारीख का प्रारंभ 31 नवंबर, 2003 को शुरू होगा जब घोषणा की घोषणाइलाके में की गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील का अन्य तर्क कि आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन समाचार पत्र में प्रकाशन से पहले होना चाहिए, इस तथ्य के आलोक में भी कायम नहीं रह सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अधिनियम की धारा 6 (2) प्रकाशन के तरीके का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 4 और 6 के अनुनय से पता चलता है कि "अधिसूचना" शब्द का उपयोग विशेष रूप से अधिनियम की धारा 4 (1) में किया गया है, जबकि अधिनियम की धारा 6 में ऐसा कोई शब्द नहीं पाया जाता है, जो अधिनियम से संबंधित है, घोषणा के साथ जो अधिसूचना को अनिवार्य नहीं करता है लेकिन केवल घोषणा का प्रकाशन करता है। इसलिए यह रिट याचिका भी खारिज किए जाने योग्य है। अन्यथा भी, यह रिट याचिका इस आधार पर खारिज किए जाने योग्य है कि इसे **ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम** *बनाम* **औद्योगिक विकास और निवेश कंपनी (पी) लिमिटेड (10) स्टार वायर (इंडिया) लिमिटेड** के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में पंचाट पारित करने के बाद दायर किया गया है।*(ग* **) पद्मा** *बनाम* **तमिलनाडु सरकार के उप सचिव; (12) नगर परिषद, अहमदनगर** *बनाम* **शाह हैदर बेग; (13)** और **मैसर्स स्वाइका प्रॉपर्टीज प्रा लि** *बनाम* **राजस्थान राज्य (14)।**

(27) सीडब्ल्यूपी नंबर 976 ओ एफ 2006 केसाथ-साथ 2006 की सीडब्ल्यूपी नंबर 12548 को इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि पुरस्कार के पारित होने के बाद इसे प्राथमिकता दी गई थी। इसके अलावा, 2006 की सीडब्ल्यूपी संख्या 976 में याचिकाकर्ताओं नेअधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना जारी करने के बाद जमीन खरीदी है। इस प्रकार, वे अधिग्रहण की वैधता को चुनौती देने के हकदार नहीं होंगे, लेकिन अधिक से अधिक मुआवजे का दावा कर सकते हैं। इस संबंध में, स्टार वायर (इंडाि) लिमिटेड के मामलों में माननीा उच्चतम न्ाािाािाला

के निर्णालों का संदर्भ काा जा सकता है। बनाम हरियाणा राज्य **और अन्य (सुप्रा), गुरमुख सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य (15) उत्तर प्रदेश जल निगम** *बनाम* **कालरा प्रॉपर्टीज (प्रा) लिमिटेड (16)**

(10) (1996) 11 एससीसी 501

(11) (1996) 11 एससीसी 698

(12) (1997) 2 एससीसी 627

(13) (2000) 2 एससीसी 48

(14) जेटी 2008 (2) एससी 280

(15) 1996 एससीसी (सीआरएल) 505

(16) 1996 (3) एस.सी.सी. 124

मीरा साहनी *वेसुस* **दिल्ली की उपराज्यपाल और अन्य (17) और**
शांति स्पोर्ट्स क्लब और अन्य *बनाम* **भारत संघ और अन्य**
(18).

(28) 2006 की सीडब्ल्यूपी संख्या 12548 में, जिस भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की जा रही है, वह एक खाली भूमि है और इसलिए, इसे जारी करने का कोई आधार नहीं बनाया गया है।

(29) उपरोक्त के मद्देनजर, हम उपरोक्त किसी भी रिट याचिका में योग्यता नहीं पाते हैं और इसलिए, इसे खारिज करते हैं। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

(30) इस आदेश की फोटोस्टेट कॉपी जुड़े हुए मामलों की फाइलों पर रखी जाए।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादीके सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोगनहीं कि या जा सकता है। सभी व्यवहारिक औरआधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करणप्रमाणिक होगा और नि ष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्यके लिए उपयुक्त रहेगा ।

वरुण बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम